

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 1981/माघ 10, 1902

No. 29] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 1981/MAGHA 10, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० : 12-ई०डी०सी०(पी०एन०)/81

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय : 1980-81 के दौरान ताजी और जमी हुई पौमफ्रेट का निर्यात।

मि० सं० 1/4/81-ई०-1 :—उपरोक्त विषय पर निर्यात नीति 1980-81 के पृष्ठ
10 पर क्रम सं० 7 के सामने कालम 3 में दर्शाई गई नीति और सार्वजनिक सूचना सं० 28-
ई०डी०सी०(पी०एन०)/80, दिनांक 18-6-1980 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि 500 ग्राम और इससे अधिक
भार की ताजी एवं जमी हुई पौमफ्रेट का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत जारी रहेगा।

300 ग्राम और इससे अधिक भार वाली लेकिन 500 ग्राम से कम भार वाली मिल्बर पोमफ्रेट का निर्यात निर्धारित उच्चतम सीमा के अधीन अनुमेष होगा। लेकिन, 300 ग्राम से कम भार वाली मिल्बर पोमफ्रेट का निर्यात अनुमेष नहीं होगा।

3. तबनुसार, निर्यात नीति 1980-81 के पृष्ठ 10 पर नीति विवरण की क्रम सं० 7 के गामने कालम-3 में वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

क्रम सं०	संदर्भ	संशोधन
1	पृष्ठ 10, क्रम सं० 7(7), कालम-3	वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— “(i) 500 ग्राम और इससे अधिक भार वाली ताजी और जमी हुई मिल्बर पोमफ्रेट—जुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दणिए गए के अनुसार निर्यात की अनुमति होगी। (ii) 300 ग्राम और इससे अधिक लेकिन 500 ग्राम से कम भार वाली ताजी और जमी हुई मिल्बर पोमफ्रेट—पोतवदान बिलों पर पुष्ठांकित द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से और केवल पक्के आदेशों/सीधे बिक्री के डेकों के आधार पर निर्यात की अनुमति होगी। (iii) 300 ग्राम से कम भार वाली मिल्बर पोमफ्रेट का निर्यात—निर्यात की अनुमति नहीं है।”

मणितारायण स्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 12-ETC (PN)/81

New Delhi, the 30th January, 1981

EXPORT TRADE CONTROL

Sub : Export of fresh and frozen pomfrets during 1980-81.

File No. 1/4/81-E-I:—Attention is invited to the policy indicated in Col.3 against Sl. No. 7, on page 10 of Export Policy 1980-81 and to Public Notice No. 28-ETC (PN)/80, dated 18-6-1980 on the above subject.

2. On a review of the situation, it has been decided that export of fresh and frozen pomfrets of sizes 500 Grams and above will continue to be allowed under OGL 3. Export of silver pomfrets of sizes 300 Grams and above and less than 500 Grams will be allowed within a limited ceiling. However, export of silver pomfrets of sizes less than 300 Grams will not be allowed for export.

3. Consequently, the existing entry in Col. 3 against Sl. No. 7 of Policy Statement at page 10 of Export Policy 1980-81 shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Reference	Amendment
1.	Page 10, Sl. No. 7(vii), Col. 3	The existing entry shall be substituted by the following : “(i) Fresh and frozen silver pomfrets of sizes 500 Grams and above—Export will be allowed as provided under OGL 3. (ii) Fresh and frozen silver pomfrets of sizes 300 Grams and above and less than 500 Grams—Export will be allowed freely within a limited ceiling by endorsement on Shipping Bills and on the basis of firm orders/contracts on out-right sale basis only. (iii) Export of silver pomfrets of sizes less than 300 Grams—Export not allowed.”

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports and Exports

